पीड़ित 'एक्स'

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

(2025 की दाण्डिक अपील संख्या 3090)

21 जुलाई 2025

[विक्रम नाथ और संदीप मेहता, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त के विरुद्ध यातना एवं यौन शोषण के आरोप लगाए गए। उसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई। प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को दी गई जमानत न्याय का प्रतिकूल पराभव सिद्ध होती है।

निर्णय सार

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 341, 323, 328, 376, 120-बी सहपठित धारा 34 – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 – धाराएँ 3 एवं 4 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – धारा 3(1)(डब्लू), धारा 3(2)(वीए) तथा धारा 15ए(3) – अभियोजन का उत्तरदाता सं. 2 के विरुद्ध आरोप यह था कि वह उत्तर रक्षा गृह की अधीक्षिका के पद पर कार्यरत रहते हुए, अपीलकर्ता–पीड़िता तथा संरक्षण गृह की अन्य महिला निवासियों को मादक औषधियाँ एवं इंजेक्शन देती थी, जिसके बाद उन्हें यौन शोषण तथा मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था। वर्तमान प्रकरण में प्राथमिकी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार पर दर्ज की गई। उत्तरदाता सं. 2 द्वारा दायर जमानत आवेदन को विशिष्ट विशेष न्यायालय (एससी /एसटी अधिनियम) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय में अपील के दौरान अपीलकर्ता–पीड़िता को पक्षकार नहीं बनाया गया और अभियुक्त (उत्तरदाता सं. 2) को जमानत प्रदान कर दी गई – शुद्धता :

अभिनिर्धारित: आक्षेपित आदेश को केवल इस आधार पर ही अभिखंडित किया जा सकता था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए(3) का अनुपालन नहीं किया गया, जो यह अनिवार्य करती है कि ऐसे मामलों में, जहाँ उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध लगाए गए हों, जमानत याचिका पर विचार करने से पूर्व पीड़ित को सूचना देना आवश्यक है। यह न्यायालय दृढ़ मत का है कि वर्तमान मामला एक अपवादात्मक प्रकृति का है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2024 के संक्षिप्त आदेश के माध्यम से उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को जमानत प्रदान करना न्याय का प्रतिकूल पराभव सिद्ध हुआ है। इतने गंभीर अपराधों के अभियुक्त को बिना कारण बताए जमानत देना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं हैं; उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे जमानत आदेशों को निरस्त करें, जिससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वर्तमान मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण साक्षियों को धमकाए जाने और प्रभावित किए जाने की प्रबल संभावना है। यह निष्कर्ष इस तथ्य से और सुदृढ़ होता है कि उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को एक अन्य संरक्षण गृह में अधीक्षिका के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, जो प्रशासन में उसके प्रभाव और पहुँच को दर्शाता है। अतः, यह ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, ताकि दिनांक 18.01.2024 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके, जिसे इस प्रकार अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत निरस्त की जाती है। [कंडिका 25, 27, 28, 29]

न्याय दृष्टान्त

शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य **[2025] 3 एससीआर 367:(2025) 4 एससीसी 172;** अजवर बनाम वसीम **[2024] 5 एससीआर 575:(2024) 10 एस.सी.सी. 768-पर अवलम्बन।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

मुख्य शब्दों की सूची

यातना; यौन शोषण; जमानत; न्याय; जमानत रद्द करना; जमानत का प्रतिकूल आदेश।

प्रकरण से उत्पन्न

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की दाण्डिक अपील सं. 3090

यह अपील, पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.01.2024, जो 2023 की सीआरएलए (एकल न्यायाधीश) सं. 3765 में दिया गया था, से उत्पन्न है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:

डॉ. विनोद कुमार तिवारी, रौणक पारेख, सुश्री मीनू कुमारी, प्रमोद तिवारी, विवेक तिवारी, पीयूष सरदाना, अमित भारद्वाज, सुश्री प्रियंका दुबे।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता :

समीर अली खान, प्रांजल शर्मा, काशिफ खान, नीरज कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार सिंह, अक्षय अग्रवाल।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायमूर्ति

1. सुना गया।

2. अनुमति दी गई।

3. यह विशेष अनुमति से दायर अपील, दिनांक 18 जनवरी 2024 के उस आदेश से उत्पन्न होती है, जिसे पटना उच्च न्यायालय[1] के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जिसके माध्यम से उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त[2] द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989[3] की धारा 14(ए)(2) के अंतर्गत दायर अपील को स्वीकार करते हुए उसे जमानत प्रदान की गई। यह जमानत 2022 की महिला थाना कांड सं. 17 के संबंध में दी गई थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860[4] की धाराएँ 341, 323, 328, 376, 120-बी सहपठित धारा 34 तथा अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956[5] की धाराएँ 3/4 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएँ 3(1)(डब्लू)/3(2)(विए) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया था। वर्तमान अपील में अपीलकर्ता–पीड़िता ही उक्त प्राथमिकी की सूचक है।

4. अभियोजन का उत्तरदाता सं. 2 के विरुद्ध मामला यह है कि वह उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना में अधीक्षिका के पद पर पदस्थ रहते हुए अपीलकर्ता–पीड़िता तथा संरक्षण गृह की अन्य महिला निवासियों को मादक दवाइयाँ एवं इंजेक्शन देती थी, जिसके बाद उन्हें यौन शोषण तथा मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था।

---

1 इसके बाद इसे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा।

2 इसके बाद इसे "उत्तरदाता संख्या 2" कहा जाएगा।

3 इसके बाद इसे "एससी/एसटी अधिनियम" कहा जाएगा।

4 द.प्र.सं

5 इसके बाद इसे "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम" कहा जाएगा।

उत्तरदाता–अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वह संरक्षण गृह में रह रही महिलाओं को प्रभावशाली व्यक्तियों को यौन सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से बाहर भेजती थी। वर्तमान प्रकरण में प्राथमिकी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार पर दर्ज की गई, जिसने संरक्षण गृह में रह रही महिलाओं द्वारा झेली जा रही पीड़ाओं का वर्णन करने वाली एक समाचार-पत्र प्रतिवेदन का संज्ञान लिया था। जांच की प्रक्रिया भी उच्च न्यायालय की निगरानी में संपन्न हुई।

5. यह उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान, वर्तमान अपीलकर्ता के अतिरिक्त कुछ अन्य महिलाओं ने भी उत्तरदाता सं. 2 के विरुद्ध यातना एवं यौन शोषण के आरोप लगाए।

6. उत्तरदाता सं. 2 द्वारा दायर जमानत आवेदन को माननीय विशिष्ट विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम), पटना[6] द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात, उत्तरदाता सं. 2 ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(ए)(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

7. इस बीच, उत्तरदाता सं. 2 के विरुद्ध विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया, और न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएँ 341, 342, 323, 328, 376, 120-बी, 504, 506 तथा अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धाराएँ 3/4 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(डब्लू)/3(2)(विए) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया।

8. यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील में अपीलकर्ता–पीड़िता को पक्षकार नहीं बनाया गया था, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

---

6 इसके बाद इसे "विशेष न्यायालय" कहा जाएगा।

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए(3) के स्पष्ट उल्लंघन में अभियुक्त (उत्तरदाता सं. 2) को जमानत प्रदान कर दी गई, जबकि उक्त प्रावधान के अनुसार जमानत से संबंधित किसी भी प्रार्थना पर विचार करने से पूर्व पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा उत्तरदाता सं. 2 द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उसे जमानत प्रदान की, निम्नलिखित तर्कों के आधार पर:-

> "**7**. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत तथा यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, न्यायालय इस अपील को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त है। अतः, अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक 10.07.2023 का आक्षेपित आदेश इस प्रकार अपास्त किया जाता है।"

9. अपीलकर्ता–पीड़िता, विशेष अनुमति के माध्यम से दायर इस अपील द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने हेतु हमारे समक्ष उपस्थित है।

10. हमने अपीलकर्ता–पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता, उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया।

11. अपीलकर्ता–पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार एवं दृढ़तापूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता सं. 2 को बिना किसी कारण दर्ज किए अत्यंत संक्षिप्त आदेश द्वारा जमानत प्रदान कर दी, तथा इस महत्वपूर्ण तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की कि उत्तरदाता सं. 2, महिला संरक्षण गृह की अधीक्षिका होने के नाते एक अधिकारयुक्त पद पर आसीन थी और उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संस्था की असहाय महिला निवासियों का शोषण किया तथा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उनके यौन शोषण की सुनियोजित व्यवस्था की। अनेक महिला निवासियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में गंभीर आरोप

लगाए हैं कि उन्हें बाहरी व्यक्तियों को यौन संतुष्टि प्रदान करने हेतु संस्थान से बाहर भेजा जाता था, और जो इसका विरोध करती थीं, उन्हें मादक पदार्थों के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिनके प्रभाव में उन्हें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया जाता था

12. यह भी तर्क दिया गया कि अज्ञात व्यक्तियों को संरक्षण गृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी, जहाँ वे पीड़िताओं की असहाय स्थिति का लाभ उठाकर उनसे यौन लाभ प्राप्त करते थे।

13. उन्होंने आगे यह इंगित किया कि उत्तरदाता सं. 2 को जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात उसे सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया है और वह बिहार राज्य के भीतर ही एक अन्य संरक्षण गृह की प्रभारी (अधीक्षिका) के रूप में कार्य कर रही है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, राज्य प्राधिकरणों का यह दृष्टिकोण—कि उत्तरदाता सं. 2 को, महिला निवासियों के यौन शोषण को सुविधाजनक बनाने हेतु पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के बावजूद, संरक्षण गृह की प्रभारी के रूप में कार्य करने दिया जा रहा है —निवासियों को पुनः यौन शोषण के गंभीर जोखिम के संपर्क में ला सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी अभियुक्त के साथ मिलीभगत में हैं और उत्तरदाता सं. 2 के दुराग्रही आचरण के लिए उसे दंडित करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं रखते। बल्कि, उसे उसी प्रकार के एक अन्य संरक्षण गृह में नया कार्यकाल देकर मानो पुरस्कृत किया गया है, जहाँ उसने पूर्व में महिला निवासियों पर अत्याचार किए थे।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि यदि उत्तरदाता सं. 2 को जमानत पर बने रहने दिया गया, तो उसके द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने तथा विचारण को विफल करने का तात्कालिक खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने यह भी इंगित किया कि

वस्तुतः इस मामले के साक्षियों को पहले ही अनेक धमकियाँ दी जा चुकी हैं, अतः उत्तरदाता सं. 2 का जमानत पर बने रहना निष्पक्ष विचारण के लिए हानिकारक होगा।

15. इन आधारों पर तथा आरोपों की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह भारत का संविधान अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपने असाधारण अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता सं. 2 को प्रदान की गई जमानत को निरस्त करे।

16. उत्तरदाता सं. 1–बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने अपीलकर्ता–पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि विस्तृत जांच के पश्चात, संरक्षण गृह में रह रही असहाय एवं निराश्रित महिला निवासियों के शोषण हेतु आधिकारिक पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप प्रमाणित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरदाता सं. 2, एक अधिकारयुक्त पद पर होने के कारण, निश्चित रूप से वाद के निष्पक्ष विचारण को प्रभावित करेगी तथा यदि उसे विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर बने रहने दिया गया, तो पीड़ित महिलाओं के जीवन एवं शारीरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। हालाँकि, एक प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता राज्य प्राधिकरणों के उस आचरण का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे, जिसमें उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को पुनः सेवा में बहाल कर, उसे एक अन्य महिला संरक्षण गृह का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, जबकि वह इसी प्रकार के संस्थान में कार्य करते हुए अधिकारों के दुरुपयोग एवं यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रही है।

17. उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का दृढ़तापूर्वक समर्थन करने का प्रयास किया। उन्होंने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन पर विचार करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का संज्ञान लिया और सही रूप से यह पाया कि अभियोजन साक्ष्यों में उत्तरदाता

सं. 2 के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं, तथा इसके पश्चात एक युक्तिसंगत आदेश पारित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 2 एक महिला है और वह 27 अगस्त 2022 से लगभग 500 दिनों तक अभिरक्षा में रही है, जो जमानत प्रदान करने के पक्ष में उच्च न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण कारक था। उन्होंने आगे कहा कि जमानत आवेदन के चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करना विचारण को प्रभावित कर सकता है, अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया।

18. उन्होंने यह निवेदन किया कि उत्तरदाता सं. 2 एक महिला होने के कारण जमानत प्रदान करने में विशेष विचार की अधिकारी है, और इस कारण यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने में संयम बरते, जिसके द्वारा उत्तरदाता सं. 2 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

19. हमने बार में अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

20. प्रारंभ में ही हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि उत्तरदाता सं. 2 के विरुद्ध लगाए गए आरोप न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। उत्तरदाता सं. 2, महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी के रूप में, वहाँ निवास करने वाली महिलाओं की संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य थी; किन्तु उसने विपरीत आचरण करते हुए उन असहाय एवं निराश्रित महिलाओं के यौन शोषण में लिप्तता दिखाई, जिन्हें उक्त संरक्षण गृह में उनकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से रखा गया था।

21. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से एक मामला है, जिसमें एक उद्धारक की भूमिका में रखा गया व्यक्ति शैतान में बदल गया है।

22. उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल गंभीर एवं निंदनीय प्रकृति के हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी विद्यमान है कि उसे जमानत पर रिहा

करना विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि साक्षियों को धमकाए जाने की तात्कालिक संभावना बनी रहेगी।

23. हाल ही में, इस न्यायालय ने **शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य**[7] के मामले में, **अजवर बनाम वसीम**[8] पर निर्भर करते हुए, दहेज मृत्यु के एक मामले में अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत को निरस्त करते हुए निम्नलिखित रूप से अभिमत व्यक्त किया:-

> " **18** ..... जमानत के मानकों का सतही अनुप्रयोग न केवल अपराध की गंभीरता को कम करके आँकता है, बल्कि न्यायपालिका के दहेज मृत्यु जैसी कुप्रथा से लड़ने के संकल्प में जन-आस्था को भी कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है। न्याय की यही धारणा—न्यायालय के भीतर और बाहर—वह है जिसकी रक्षा न्यायालयों को करनी चाहिए, अन्यथा हम ऐसे अपराध को सामान्य बनाने का जोखिम उठाते हैं, जो आज भी अनेक निर्दोष जीवनों को समाप्त कर रहा है। गंभीर अपराधों में जमानत प्रदान करने के संबंध में इन अवलोकनों पर इस न्यायालय ने अजवर बनाम वसीम के मामले में निम्नलिखित कंडिकाओं में विस्तार से विचार किया है:-"
>
> "26. "किसी गंभीर आपराधिक अपराध से संबंधित मामले में जमानत प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे—अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति, अपराध किए जाने का कथित तरीका, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त को आरोपित की गई भूमिका, अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त, जमानत पर रिहा होने की स्थिति में साक्षियों

---

7 (2025) 4 एससीसी 172.

8 (2024) 10 एससीसी 768.

को प्रभावित करने तथा अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना, जमानत मिलने पर अभियुक्त के अनुपलब्ध हो जाने की संभावना, न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने एवं न्यायालय से बचने की संभावना, तथा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की समग्र उपयुक्तता। [संदर्भ : चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2004) 7 एससीसी 525]; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन[(2004) 7 एससीसी 528]; मसरूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[(2009) 14 एससीसी 286]; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी[(2010) 14 एससीसी 496]; नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[(2014) 16 एससीसी 508]; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)[(2018) 12 एससीसी 129]; महीपाल बनाम राजेश कुमार[(2020) 2 एससीसी 118]"

27. **<u>यह भी समान रूप से स्थापित सिद्धांत है कि एक बार जमानत प्रदान कर दिए जाने के पश्चात उसे यांत्रिक तरीके से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि जमानत का आदेश बिना कारण अथवा विकृत/त्रुटिपूर्ण हो, तो उसमें उच्चतर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।</u>** यदि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर आरोप हों, तो भले ही उसने दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो, ऐसा आदेश उसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है जिसने जमानत प्रदान की थी। उच्चतर न्यायालय भी जमानत को निरस्त कर सकता है यदि यह प्रतीत हो कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की उपेक्षा की है या अपराध की गंभीरता अथवा उसके सामाजिक प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा

आदेश पारित हुआ है। पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2022) 15 एससीसी 211] में, जो इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा (जिसमें हममें से एक, माननीय न्यायमूर्ति हिमा कोहली द्वारा लिखित) निर्णयित किया गया, धारा 439(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय के समक्ष किन-किन बातों का विचार किया जाना चाहिए, उसे निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 224, कंडिका 24)"

"24. "उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि एक बार प्रदान की गई जमानत को निरस्त करने के लिए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी पश्चातवर्ती परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, या जमानत प्रदान किए जाने के बाद अभियुक्त का आचरण यह दर्शाता है कि उसे विचारण के दौरान जमानत की रियायत का लाभ उठाते हुए स्वतंत्र रहने देना अब निष्पक्ष विचारण के अनुकूल नहीं है [दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य(1995) 1 एससीसी 349]। **<u>दूसरे शब्दों में, सामान्य परिस्थितियों में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से परहेज करता है; किन्तु यदि ऐसा आदेश अवैध या विकृत पाया जाता है अथवा अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित हो, तो ऐसा आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण एवं हस्तक्षेप के लिए खुला होता है।"</u>**

जमानत आदेशों को अपास्त करने पर विचार

28. "अपीलीय न्यायालय द्वारा, पीड़ित पक्ष की याचिका पर जमानत आदेश को अपास्त करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है, उनमें शामिल हैं—जमानत दिए जाने के पश्चात उत्पन्न कोई पश्चातवर्ती परिस्थितियाँ, जमानत पर रहते हुए अभियुक्त का आचरण, अभियुक्त द्वारा कार्यवाही को टालने का कोई प्रयास जिससे विचारण में विलंब हो, जमानत पर रहते हुए साक्षियों को धमकाने की कोई घटना, तथा अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने का प्रयास। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह सूची केवल उदाहरणार्थ है, न कि संपूर्ण। तथापि, न्यायालय को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जमानत प्रदान करने के चरण पर केवल प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना अपेक्षित है और मामले के गुण-दोष से संबंधित विस्तृत कारण, जो अभियुक्त के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों, उनसे बचा जाना चाहिए। **इतना कहना पर्याप्त है कि जमानत आदेश में यह स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए कि अभियुक्त को राहत प्रदान करते समय न्यायालय ने किन-किन कारकों पर विचार किया है।"**

(जोर दिया गया)

24. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक बार प्रदान की गई जमानत को सामान्यतः निरस्त नहीं किया जाना चाहिए; किन्तु जहाँ तथ्य इतने गंभीर हों कि वे न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दें, तथा जहाँ अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वहाँ न्यायालय शक्तिहीन नहीं हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे जमानत आदेशों को निरस्त करें, ताकि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वर्तमान मामला ठीक इसी प्रकार का है।

25. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि आक्षेपित आदेश को केवल इस एक आधार पर ही अभिखंडित किया जा सकता था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए(3) का अनुपालन नहीं किया गया, जो यह अनिवार्य करती है कि ऐसे मामलों में, जहाँ उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध लागू किए गए हों, जमानत याचिका पर विचार करने से पूर्व पीड़ित को सूचना देना आवश्यक है।

26. उउत्तरदाता–अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील-ज्ञापन का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि उसमें अपीलकर्ता–पीड़िता को उत्तरदाता पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, और इस कारण उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए(3) द्वारा प्रदत्त सुनवाई के अधिकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

27. इसके अतिरिक्त, **शबीन अहमद** (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस दृढ़ मत पर हैं कि वर्तमान मामला एक अपवादात्मक प्रकृति का है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2024 के संक्षिप्त आदेश के माध्यम से उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को जमानत प्रदान करना न्याय का प्रतिकूल पराभव सिद्ध हुआ है। इतने गंभीर अपराधों के अभियुक्त को बिना कारण बताए जमानत देना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण साक्षियों को धमकाए जाने और प्रभावित किए जाने की प्रबल संभावना है। हमारे निष्कर्ष इस तथ्य से और सुदृढ़ होते हैं कि उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को एक अन्य संरक्षण गृह में अधीक्षिका के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, जो प्रशासन में उसके प्रभाव और पकड़ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

28. अतः, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 जनवरी 2024 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, जिसे इस प्रकार अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

29. उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत इस प्रकार निरस्त की जाती है। उसे आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा; अन्यथा, विचारण न्यायालय उसके जमानत बंधपत्रों को निरस्त कर उसे शेष विचारण अवधि के लिए अभिरक्षा में लिए जाने की व्यवस्था करेगा। विचारण न्यायालय तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण की पीड़िताओं को उचित संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया जाए। यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो उत्तरदाता सं. 2–अभियुक्त को उपयुक्त मंच के समक्ष पुनः जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

30. अपील उपर्युक्त शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

31. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निष्पादित माने जाएंगे।

मामले का परिणामःअपील की अनुमति दी गई।

† निर्णय सार लेखन : अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।